उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 64 / 2017

मंदिर महादासजी जरिये पुजारी व संरक्षक महेश कुमार पुजारी पुत्र स्व0 मातादीन पुजारी जाति ब्राह्मण निवासी महादासजी का मंदिर बावडी गेट नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—वादी

बनाम

1. सुलतानराम सैनी दतक पुत्र नाथाराम सैनी जाति माली निवासी महादास जी की ढाणी सैनी नगर तन नवलडी तहसील नवलगढ
2. मांगीलाल सैनी पुत्र भागीरथमल सैन जाति माली निवासी जग्गुकावाली ढाणी हाल आबाद नवोडी कोठी नवलगढ तहसील नवलगढ
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ

—प्रतिवादीगण

अधिवक्ता : वादी —श्रीमती स्नेहलता वर्मा
अधिवक्ता : — —

दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

निर्णय दिनांक 21.06.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी कस्बा नवलगढ के अलमशहूर मन्दिर महादासजी का पुश्तैनी व परम्परागत पुजारी है। वादी व उसके पूर्वज इस मन्दिर में पीढियों से पूजा पाठ कर रहे हैं तथा अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मन्दिर महादासजी की खातेदारी की काफी खसरा नम्बरो की जमीन भी स्थित है जिसमें से ख.न. 125 रकबा 1.04 है0 भी स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 125 रकबा 1.04 है0 भी स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान की जमीन को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त जमीन के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त विवादित खसरा नम्बर की जमीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही मन्दिर की खातेदारी रही है परन्तु वर्तमान में प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने उक्त विवादित जमीन पर नाजायज रूप से कब्जा करके भूमि को वेस्ट – डेमेज कर रहे हैं जिनका उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही है। उकत विवादित जमीन पूर्णतः अविवादित रूप से मन्दिर की खातेदारी की रही है जिसकी घोषणा किया जाना न्यायोचित है न्यायसंगत है इसलिये वादी को यह दावा बाबत घोषंणा का पेश करना आवश्यक हुआ। विवादित भूमि सडर पर होने व मौद्रिक रूप से कीमत बढने से प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है तथा उक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर रहे हैं जबकि उक्त विवादित जमीन मंदिर महादासजी की खातेदारी की है जो पूर्णतया नाबालिग की श्रेणी में आता है। उक्त विवादित जमीन पर किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का कोई निर्माण अतिकमण व दखलअन्दाजी करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। परन्तु प्रतिवादी नं. 1 व 2 लठ के बल पर नाजायज रूप से उक्त भूमि पर कब्जा करके भूमि की प्लॉटिंग करके नाजायज रूप से नोटेरी द्वारा विकय करना चाहते हैं जिसके बाबत वादी द्वारा मना करने पर प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने वादी को लठ के बल पर कब्जा करके व प्लॉट काट कर विकय करने की धमकी दी है। यदि प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने उक्त अपनी नाजायज मंशा में सफल हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से संभव नही होगा। इसलिये प्रतिवादी नं. 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त जमीन के किसी भी भू भाग पर किसी तरह का कोई कब्जा खाम व पुख्ता निर्माण कार्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने अपने किसी अधिनस्थ नोकर चाकर आदि से करवाये मौके की यथारिथति बनाये रखें इसलिये वादी के लिये यह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि ग्राम सैनीनगर की तन में स्थित भूमि ख.न. 125 / !.04 है0 मंदिर महादासजी की खातेदारी की जमीन है इस आशय की घोषणा की जावे। प्रतिवादी नं. 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि विवादग्रस्त जमीन के किसी भी हिस्से पर किसी तरह को कोई कब्जा नही करे ना ही किसी तहर का कोई पुख्ता या खाम निर्माण कार्य करे उक्त कृत्यु ना तो स्वयं करे ना ही अपने अधिनस्थ नोकर चोकर आदि से करवाये व मौके की

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

रिथति बनाये रखें। यदि प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने नाजायज रूप से कब्जा बनाया रखा है तो प्रतिवादी उक्त जमीन को प्रतिवादी नं. 1 व 2 से खाली करवाकर राजहक में लेने के आदेश फरमावें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण जूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई । अतः शहादत वादी ली जाकर बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्धं रिकार्ड का लोकन किया गया। आंशिक नकल जमाबंदी ग्राम सैनीनगर संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि न. 125 रकबा 1.04 है0 की खातेदारी मन्दिर श्री महादासजी वाके नवलगढ खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ताबिक राजस्व रिकार्ड वादग्रस्त आराजी की खातेदारी मन्दिर श्री महादासजी रिकार्डेड खातेदार है।

आदेश

वादग्रस्त भूमि मन्दिर मूर्ति की भूमि है जिस पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही सकते। साथ ही मन्दिर मूर्ति की भूमि की सुरक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। किसी भी व्यक्ति ो मन्दिर मूर्ति की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने की ईजाजत नही दी जा सकती। अतः वादी महेश ुमार पुजारी के मन्दिर महादासजी का पुजारी होने या नही होने के संबंध में विचार/निर्णय किये बिना ाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द नही करे। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी पर अनाधिकृत कब्जा होने की स्थिति में राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर मन्दिर मूर्ति की भूमि की सुरक्षा करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 21.06. 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मुरारी लाल शर्मा (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं०:– 64/2017 **(मंदिर मूर्ति महादासजी बनाम सुलतानराम आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर०ए०एस०), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीनी मिनजानिब मुद्दई रूबरू – वकील प्रतिवादीगण मनजानिब अदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 21.06.2019 के अनुसार वादग्रस्त भूमि मन्दिर मूर्ति की भूमि है जिस पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही हो सकते। साथ ही मन्दिर मूर्ति की भूमि की सुरक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। किसी भी व्यक्ति को मन्दिर मूर्ति की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने की ईजाजत नही दी जा सकती। अतः वादी महेश कुमार पुजारी के मन्दिर महादासजी का पुजारी होने या नही होने के संबंध में विचार/निर्णय किये बिना वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द नही करे। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी पर अनाधिकृत कब्जा होने की स्थिति में राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर मन्दिर मूर्ति की भूमि की सुरक्षा करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिनका......–.................... मुबलिग...........–...........बावत......–................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–.............................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 21 माह 06 सन..2019. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सवूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
वावत इजराय हुक्मनामा	–	वावत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner